केवल विभागीय उपयोगार्थ

परिपत्र संख्या- / वर्ष 2010

पत्र संख्या-न्याय-व0प्र0अ0पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/ 2010-11 / 1011058 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 16 :: नवम्बर :: 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडी0कमि0 ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)/अपील,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में ।

डिप्टी कमिश्नर(उ0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ द्वारा दिये गये निर्णय का विवरण उपलब्ध कराया है, जिससे सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

सर्वश्री न्यू जायसवाल साइकिल स्टोर्स, परतावल बाजार, महाराजगंज के स्वामी राज कुमार विभिन्न व्यक्तियों के नाम से रेलवे रसीद/बिल्टी पर हस्ताक्षर करके प्रान्त बाहर से माल आयात करते थे एवं उसे अपने एकाउन्टस बुक में दर्ज नही करते थे । रेलवे के अभिलेखों से विस्तृत जॉच की गयी । उनके द्वारा यह बताया गया कि जिन नामों से डिलीवरी ली गयी है उनका उनसे कोई सम्बन्ध नही है, लेकिन कर निर्धारण अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यापारी के कथन को स्वीकार नही किया गया । इस प्रकार समस्त आयातित माल पर करदेयता निर्धारित की गयी । उक्त आदेश के विरुद्ध व्यापारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया । रिवीजन की पैरवी उच्च न्यायालय कार्य इलाहाबाद के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गम्भीरता पूर्वक की गयी तथा वि0अनु0शा0 की रिपोर्ट, रेलवे बिल्टी, रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित खण्ड से मंगाये गये तथा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया गया कि फर्म स्वामी श्री राज कुमार द्वारा विभिन्न नामों से जो हस्ताक्षर किये गये हैं वे वस्तुतः उनकी राइटिंग में हैं तथा करापवंचन के उददेश्य से उनके द्वारा यह माल मंगाया गया है तथा अपने खातों में दर्ज नही किया गया है । व्यापारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं द्वितीय अपील स्तर पर कभी भी अपने हस्ताक्षर को चैलेंज नही किया गया, लेकिन मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष क्रास वेरीफिकेशन कराने की बात कही गयी जिसे मा0 न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह तथ्य द्वितीय अपील स्तर पर या रिवीजन के ग्राउण्डस ऑफ अपील में नही उठाये गये थे । इस

प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि जो न्याय विवेक के आधार पर व्यापारी का करनिर्धारण किया गया है वह पूर्णतया उचित है।

अत: उपर्युक्त निर्णय की प्राप्त इण्टरनेट छाया प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि निर्णय के तथ्यों सहित अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

13/11/10

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ0न्या0कार्य) वाणिजय कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो0न्या0कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
5- ज्वाइन्ट कमिश्नर(मैनुअल अनुभाग)वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित
6- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ।
7- समस्त डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

13/11/10

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।